राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :– F2(8)/Comp./GST/2017-18/327 दिनांकः– 09/8/2017

परिपत्र

मण्डल में वस्तु एवं सेवाकर (GST) कानून के प्रावधानों को लागू करने हेतु Cleartax के Software को Procure किया गया है। इस संबंध में दिनांक 11.08.2017 को Cleartax Software के प्रतिनिधियों द्वारा Software ऑपरेट करने से संबंधित लाइव प्रशिक्षण योजना भवन, राजकॉम, प्रथम मंजिल, सी–ब्लॉक, तिलक मार्ग, जयपुर पर दिया जावेगा। अतः सभी आहरण/वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन कार्यरत एक लेखाकर्मी एवं एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को निम्न कार्यक्रमानुसार अधोलिखित सूचनाओं सहित भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र. सं.	इकाई का नाम	प्रशिक्षण समय
1.	वृत्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जयपुर, अलवर एवं उनके अधीन समस्त खण्ड कार्यालय	प्रातः 10.00 से 12.00
2.	वृत्त कोटा, बीकानेर, उदयपुर, वृत्त प्रथम, द्वितीय, जोधपुर एवं उनके अधीन समस्त खण्ड कार्यालय खण्ड विद्युत, भुगतान प्रकोष्ठ, मुख्यालय	मध्यान्ह 12.00 से 2.00

जीएसटी से संबंधित 3B Summary Return File करते हुए दिनांक 20 अगस्त, 2017 तक देय जीएसटी कर राशियों का भुगतान किया जाना है। अतः निम्न सूचनाऐं प्रशिक्षण के समय साथ लेकर आवें जिससे कि उक्त सूचनाओं की प्रविष्ठि प्रशिक्षण के समय ही Software में कर दी जावें।

1. माह जुलाई में आवंटियों/आवेदकों से HSN Code के अनुसार प्राप्त की गई राशियां व प्राप्त की गई CGST एवं RGST की राशि।
2. माह जुलाई में संवेदकों/आपूर्तिकर्ताओं को जीएसटी इनवॉइस के तहत किये गये भुगतान व CGST एवं RGST के मद में भुगतान की गई राशि।
3. माह जुलाई में RCM के तहत प्राप्त की गई सेवाऐं व आपूर्ति (HSN Code Wise) की राशि व चुकाये गये CGST एवं RGST की राशि।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संकलन)

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु.)/प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, प्रथम/तृतीय, जयपुर / द्वितीय, जोधपुर।
4. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत्त .... राजस्थान आवासन मण्डल।
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल।
6. लेखाधिकारी (भुगतान) प्रकोष्ठ मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता एवं प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि मण्डल की वेबसाईट एवं सभी इकाईयों के ई–मेल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ लेखाधिकारी (संकलन)